

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1-जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,

जनपद- अमेठी, चित्रकूट, बागपत, बांदा, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, हापुड़,
औरैया, रामपुर, इलाहाबाद, शामली, मेरठ, कानपुरदेहात, मऊ, लखीमपुरखीरी,
अम्बेडकरनगर, हमीरपुर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संतकबीरनगर,
गौतमबुद्धनगर, बिजनौर एवं जे०पी०नगर (अमरोहा)

2-जिला पंचायत राज अधिकारी (मु०)/आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।

संख्या: 1/शा०/52/2016-1/76/2016 लखनऊ: दिनांक ०६ जून, 2016
विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 (सामान्य) आयोजनागत मद में डा०
राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी०सी०रोड एवं
के०सी०ड्रेन निर्माण हेतु रू०-11750.00 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उपसचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश
संख्या-20/2016/1422/2016 /33-3-2016-100(12)/2014 दिनांक 01 जून, 2016
(छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में डा० राम मनोहर लोहिया
समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी०सी०रोड एवं के०सी०ड्रेन तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स की
व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू०-35000.00
लाख के सापेक्ष रू०- 11750.00 लाख (रू० एक अरब सत्रह करोड़ पचास लाख मात्र) में से
उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 01.06.2016 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 8, 15,
17 में इंगित कुल रू०- 11728.116 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिला पंचायत
राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय/वितरण हेतु (परिशिष्ट-01) व
कालम संख्या-10 में इंगित रू० 21.884 लाख की धनराशि निदेशालय के आहरण वितरण
अधिकारी के आहरण/व्यय हेतु (परिशिष्ट-02) की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार
निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

1- डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी०सी०रोड एवं के०सी० ड्रेन तथा इण्टर
लॉकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2016-17 में प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का
व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय
अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आप स्वयं अपने स्तर से
यह सुनिश्चित कर लेंगे कि, योजनान्तर्गत परिचय्य उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की
कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय
करने हेतु अधिकृत है।

3- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी
विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया
जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप
संख्या-1/2016/बी०-1-746/ दस-2016 -231/2016 दिनांक 22-03-2016 एवं डा०
राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त

आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि, सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जाएगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियाँ-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य प्राप्तियाँ-02-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। शासनादेश के संलग्नक में जनपद वार फॉट के कॉलम संख्या-10 में अंकित धनराशि ₹0- 21.884 लाख निदेशक पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जाएगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जाएगी।

5-उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -101-पंचायती राज-06- सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था-24 -वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

7- सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008- मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर लेखशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10-जनपद स्तर निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले दो माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

11- जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करायी जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाए।

12- किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

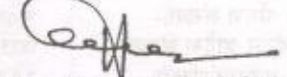
13- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 10-03-2017 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-145 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,



(अनिल कुमार दमले)

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

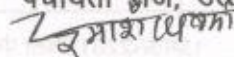
संख्या:1/शा०/52/1/2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, इलाहाबाद-211001.
- 2- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- 5- जिलाधिकारी, अमेठी, चित्रकूट, बागपत, बांदा, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, हापुड़, औरैया, रामपुर, इलाहाबाद, शामली, मेरठ, कानपुरदेहात, मऊ, लखीमपुरखीरी, अम्बेडकरनगर, हमीरपुर, बलरामपुर, मुज्जफरनगर, सहारनपुर, संतकबीरनगर, गौतमबुद्धनगर, बिजनौर एवं जे०पी०नगर (अमरोहा)।
- 6- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अमेठी, चित्रकूट, बागपत, बांदा, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, हापुड़, औरैया, रामपुर, इलाहाबाद, शामली, मेरठ, कानपुरदेहात, मऊ, लखीमपुरखीरी, अम्बेडकरनगर, हमीरपुर, बलरामपुर, मुज्जफरनगर, सहारनपुर, संतकबीरनगर, गौतमबुद्धनगर, बिजनौर एवं जे०पी०नगर (अमरोहा)।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं०), उ०प्र०।
- 9- उपनिदेशक (पं०), पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।
- 10- एस०पी०एम०यू०, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।



Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-07/06/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-52-2016-1-76-2016
आवंटन आदेश संख्या:- 003-76-2016
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज
06 - सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इन्टर लॉकिंग टाइल्स

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 48908700 48908700	48908700 48908700
2	मुज़फ्फर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 49907000 49907000	49907000 49907000
3	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 36931100 36931100	36931100 36931100
4	बिजनौर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 42920000 42920000	42920000 42920000
5	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 58890100 58890100	58890100 58890100
6	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 101810000 101810000	101810000 101810000
7	हमीरपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 43918000 43918000	43918000 43918000
8	बांदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 53899400 53899400	53899400 53899400
9	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 64879000 64879000	64879000 64879000
10	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 56893700 56893700	56893700 56893700
11	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 48908700 48908700	48908700 48908700
12	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 26949700 26949700	26949700 26949700
13	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 57892000 57892000	57892000 57892000
14	महाराजगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 80849100 80849100	80849100 80849100
15	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 37929200 37929200	37929200 37929200
16	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 13974000 13974000	13974000 13974000
17	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 18964600 18964600	18964600 18964600
18	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 50905000 50905000	50905000 50905000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
19	औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 18964600 18964600	18964600 18964600
20	बागपत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 59888200 59888200	59888200 59888200
21	अमरोहा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 40923500 40923500	40923500 40923500
22	चित्रकूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 34934900 34934900	34934900 34934900
23	अमेठी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 39925500 39925500	39925500 39925500
24	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 31940400 31940400	31940400 31940400
25	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 50905000 50905000	50905000 50905000
	योग	वर्तमान प्रगामी 1172811400 1172811400	1172811400 1172811400

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रूपया एक अरब सत्रह करोड़ अठाईस लाख ग्यारह हजार चार सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया एक अरब सत्रह करोड़ अठाईस लाख ग्यारह हजार चार सौ

(केशव सिंह)
मुख्य विज्ञ एवं लेखाधिकारी
मातृका